



Neutral Citation No.- 2026:AHC:17610

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-968 वर्ष 2026

कमलेश पासवान आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अखिलेश पांडे, जगमोहन सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, संजय श्रीवास्तव

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री जगमोहन सिंह और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री संजय श्रीवास्तव के साथ-साथ राज्य विधि अधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक मामले के लंबित रहने के दौरान भ०द०वि०, थाना-चकरी, जिला: कानपुर नगर की धारा 147, 148, 323, 352, 302, 307 के तहत 2024 के मामले में जमानत मांगता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है।
5. अधिवक्ता ने यह भी कहा कि मृत व्यक्ति पर बल्ले से हमला करने की भूमिका मानवेंद्र सिंह और गया सिंह को सौंपी गई है। कपाल पर मृतक व्यक्ति को लगी चोटें केवल क्रिकेट के बल्ले के कारण हो सकती हैं, इस प्रकार, आवेदक का मामला सह-आरोपी मानवेंद्र सिंह @ गया सिंह के मामले से अलग है।



6. अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 30.08.2024 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

7. ततस्य विपरीत, सूचनाकर्ता और राज्य विधि अधिकारी के अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था और उसने घटना में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तीन अन्य सह-अभियुक्तों की जमानत याचिका को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि मुकदमा आगे बढ़ रहा है क्योंकि आज तक तीन गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, इस प्रकार, आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

8. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जा सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय और घायल व्यक्तियों और मृत व्यक्ति को लगी चोटों को ध्यान में रखते हुए, मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए यह उचित मामला नहीं लगता।

10. तदनुसार, जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

11. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 27, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.